न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 34 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. देवीसिंह		1. हेमसिंह वगै0

निर्णय अन्तर्गत धारा– 212 राज. काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

वकील प्रार्थी :– श्री श्याम लाल परिहार उपस्थित वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 26/8/19

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा गांव नीवो की खेजडी के खसरा नम्बर 833, 839, 884, 1167, 1171, 1175, 1178, 1185, 1188, 1193, 1196, 1202, 1205, 1209, 1211, 1217, 1223 कुल खसरा 17 कुल रकबा 10.5748 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पुवर्ज स्व कुम्भसिंह जी के नाम खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। जो कि वादग्रस्त आराजी है।

वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा आता है जिसमें प्रार्थी काबिज काश्त है। रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 30 की शामलाती दर्ज है। किन्तु मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच कोई विधिक बंटवाडा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा होने से प्रार्थी अपने हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से मे दखल लडाई झगडा हेतु आमादा है तथा प्रार्थी के हक हिस्से को बैचान करने पर आमादा है जिस बाबत प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार मालवीय तथा श्री सुरेन्द्र शर्मा अनुपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तरफ से आदिनांक जबाब पेश नहीं किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 31 औपचारिक पक्षकार है अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा आता है जिसमें प्रार्थी काबिज काश्त है। रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 30 की शामलाती दर्ज है। किन्तु मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच कोई विधिक बंटवाडा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/15 हिस्सा होने से प्रार्थी अपने हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से में दखल आदि करने तथा लडाई झगडा करने को आतुर है तथा प्रार्थी के हक हिस्से को बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण

(शैलेन्द्रसिंह)
सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है अतः अप्रार्थीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से बाधित किया जाना उचित है।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया गया। चूंकि वकील वादी द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है राजस्व रेकर्ड में यह पक्षकारान की सहखातेदारी सामलाती भूमि है। तथा राजस्व रेकर्ड में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। अतः सभी पक्षकारान का वादग्रस्त आराजी के हर हिस्से के एक एक इंच पर हक निहित है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा देना न्याय संगत नही एवं विधि के विरूद्ध है। इस बात की पुष्टी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनवान त्रिलोक चंद बनाम विमला देवी नजीर RRD- 261 = 2007(1) RRT 103 RLW 2006 (2) RJ 1326 से भी होती है। जिसमे पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी भूमि का दर्ज खातेदार है– अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उसके विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अनवान चावली वगै0 बनाम बलकी देवी वगै0 RRT 113 2016(1) में पारित निर्णय के अनुसार "....वादी तथा प्रतिवादी दोनो ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा नहीं कर सकता है– निर्णित निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है तथा अपास्त किये।...." अतः जब तक वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी का हक हिस्सा कहां पर निहित है, केवल मौखिक बंटवाड़े को विधि पूर्ण बंटवाड़ा नहीं कहा जा सकता जबतक कि उसका राजस्व रेकर्ड में तरमीम न हो जाये। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। साथ ही वर्ष 2016 में प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया था जिसके बाद आदिनांक तक प्रार्थी ने कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं प्रार्थी के हक हिस्से को खुर्द–बुर्द व अधिकार को पदमिपदहम करने संबंधी पिछले तीन वर्षों में में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य इत्यादि भी पेश नहीं किये गए है। अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के जारी करना विधि एवं कानून के विरूद्ध है। साथ ही प्रार्थी जो रिलीफ चाहतें है वह उचित विधिक परीक्षण किये जाने के उपरान्त मूल वाद में निर्णित की जावेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा काबिल खारिज है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी को खारीज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र हो।

निर्णय आज दिनांक ...26/8/19... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2019.11.24 16:50:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: